संख्या-2003 /आठ–5–13–07 वि/13

प्रेषक,

अभय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 12 जुलाई 2013

विषयः विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में कार्यरत केन्द्रिय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1985 के प्राविधानों द्वारा केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। इस नियमावली के ''भाग–नौ–सेवानिवृत्ति की आयु और सेवा में विस्तार''के अन्तर्गत केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान किया गया हैः–

''नियम–34–(1) उपनियम (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सेवा के समस्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु साठ वर्ष होगी। जिसके पश्चात किसी व्यक्ति को साधारणतया सेवा में नही रखा जायेगा।''

2– उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1985 के उक्त नियम–34 के अनुसार केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की सेवानिृत्ति आयु 60 वर्ष है। नियमावली के उक्त प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Abhay
(अभय)
विशेष सचिव।

संख्या–2003(1)/आठ–5–13–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) निदेशक, आवास बन्धु लखनऊ।

(3) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।

(4) गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
उप सचिव।